

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 119/2022

वादीगण-

1. रामप्रसाद पुत्र चेनाराम
2. बस्तीराम पुत्र मेखाराम
3. रामचन्द्र पुत्र दत्तक पुत्र बाली पत्नी झुठाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण कठौती, तहसील- जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. विजय प्रकाश पुत्र चेनाराम
2. शिवपाल पुत्र चेनाराम
3. अणची देवी पत्नी चेनाराम
4. मंजू पुत्री चेनाराम
5. भवंरलाल पुत्र सीताराम
6. कैलाश पुत्र सीताराम
7. रामेश्वरी पुत्री सीताराम
8. धापुड़ी पत्नी सीताराम
9. मोडाराम पुत्र झुमरराम
10. श्रवणराम पुत्र झुमरराम
11. सुवटी पत्नी हरकरण
12. नन्दकिशोर पुत्र हरकरण
13. शारदा पुत्री रामदीन
14. मनीराम पुत्र रामदीन
15. प्रभुराम पुत्र रामदीन तमाम जातियान मेघवाल, निवासीगण कठौती।
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।
17. शाखा प्रबंधक एसबीआई कठौती।



उपस्थिति :-

1. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर
3. प्रतिवादी संख्या 16 राजपैरोकार उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 17 शाखा प्रबंधक एसबीआई कठौती परफोर्मा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 16 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया

**सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल**

मदरलाल

जाता है कि- मौजा कठौती में खेत खसरा नंबर 119 रकबा 1.6106 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 139 रकबा 0.4856 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 163 रकबा 0.2671 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 164 रकबा 0.7527, खेत खसरा नंबर 165 रकबा 0.4856 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 751 रकबा 1.7159 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 171 रकबा 0.7122 हैक्टैयर, खसरा नंबर 227 रकबा 3.7312 हैक्टैयर, खं.न 59 रकबा 1.7159 हैक्टैयर, खसरा नंबर 102 रकबा 0.5666 हैक्टैयर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जबाब अनुसार के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामप्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 140 रकबा 1.0603 हैक्टैयर तथा खेत खसरा नंबर 119 रकबा 1.6106 हैक्टैयर में से रकबा 0.8094 हैक्टैयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 बस्तीराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 139 रकबा 1.0603 हैक्टैयर तथा खसरा नंबर 158 रकबा 0.4856 हैक्टैयर पूरा, खेत खसरा नंबर 227 रकबा 3.7312 हैक्टैयर में से रकबा 0.6475 हैक्टैयर उत्तरी पूर्वी भाग तथा खसरा नंबर 750 रकबा 1.6187 हैक्टैयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 रामचन्द्र दत्तक पुत्र बाली पत्नी झुठाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 163 रकबा 0.2671 हैक्टैयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 164 रकबा 0.7527 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 165 रकबा 0.4856 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 751 रकबा 1.7159 हैक्टैयर, खसरा नंबर 171 रकबा 0.7122 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 59 रकबा 1.7159 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विजयप्रकाश, शिवपाल, अणची, मंजू के बंट में अन्य खातेदारी के खेताय संख्या 122, 1525, 2307/738, 738 आये हुवे है, इसलिये इन खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।
5. प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के संयुक्त कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 119 रकबा 1.6106 हैक्टैयर में से रकबा 0.8012 हैक्टैयर पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 227 रकबा 3.7212 हैक्टैयर में से 3.0837 हैक्टैयर दक्षिणी पूर्वी भाग तथा खसरा नंबर 102 रकबा 0.5666 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 9 व 10 मोडाराम, श्रवणराम के बंट में अन्य खातेदारी के खेताय संख्या 152 व 162 आये हुवे है, इसलिये इन खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।
7. प्रतिवादी संख्या 11 व 12 सुवटी व नन्दकिशोर के बंट में अन्य खातेदारी के खेताय संख्या 168 आये हुवे है, इसलिये इन खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।
8. प्रतिवादी संख्या 13 से 15 शारदा, मनीराम, व प्रभुराम के बंट में अन्य खातेदारी के खेताय संख्या 127, 150, 151, 465 आये हुवे है, इसलिये इन खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

सहायक कलक्टर
(स.डी.ओ.) जायल

